न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 209 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मृतक मेघाराम पुत्र रतनराम के कायम मुकामातः–
   1 / 1ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल
   1 / 2श्रीमती बिंजकी बेवा मेघाराम जाति मेघवाल
   1 / 3लालाराम पुत्र मेघाराम नाबालिग जरीये कुदरती वली माता श्रीमती बिंजकी बेवा मेघाराम जाति मेघवाल
2. बीजाराम पुत्र केताराम जाति मेघवाल
3. शैतानराम पुत्र केताराम जाति मेघवाल
4. निम्बाराम पुत्र केताराम जाति मेघवाल
5. पोकरराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल
6. श्रीमती जमना विधवा हीराराम जातियान मेघवाल निवासीयान बिठूजा तहसील पचपदरा।

रेस्पोडेंटगण

बनाम1.पोलाराम पुत्र रूपाराम
2.दौलाराम पुत्र रूपाराम
3.बाबुलाल पुत्र रूपाराम
4.रणछोड़ा पुत्र रूपाराम जातियान मेघवाल निवासी बिठूजा।
5.मृतक अचलाराम पुत्र रावताराम के कायम मुकामः–
5 / 1गवरीदेवी बेवा अचलाराम
5 / 2प्रभुराम पुत्र अचलाराम
5 / 3ओमाराम पुत्र अचलाराम
5 / 4मोहन पुत्र अचलाराम
5 / 5पारस पुत्र अचलाराम
5 / 6चनणा पुत्र अचलाराम जाति मेघवाल निवासीयान बिठूजा।
5 / 7सीतादेवी पुत्री अचलाराम पत्नी धनराज निवासी बालोतरा।
5 / 8इन्द्रादेवी पुत्री अचलाराम पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी कोलवा।
5 / 9हंजा पुत्री अचलाराम पत्नी पुखराज निवासी आसोतरा।
6.तारांराम पुत्र रावताराम
7.राणाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासीयान बिठूजा।
8.राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 30 / 1991 बअनवान मेघाराम वगैरा बनाम पोलाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2000 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 30.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता 1 / 1 ता 1 / 3 के पिता मेघाराम एवं अपीलकर्ता संख्या 2 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण अपीलकर्तागण रतनाजी के खानदान से है मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बिठूजा के खेत खसरा संख्या 250 रकबा 10.01 बीघा अपीलकर्तागण के हक पूर्वाधिकारी रतनाराम/रतनीया के खातेदारी का था, रतनाजी का देहान्त सन् 1969 में हुआ, विवादित भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त जब तक वे जीवित रहे तब तक एवं रतनाराम उर्फ रतनिया के देहान्त होने के बाद हम वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक निर्विघन रूप से चला आ रहा है। वक्त सेटलमेंट विवादित आराजी पर एक मात्र कब्जा काश्त रतनिया का था, इसलिए उक्त भूमि का पर्चा लगान भी रतनिया के नाम से जारी हुआ एवं खतौनी बदोबस्त संवत् 2009 खतौनी 2014–17, खतोनी वर्ष 2020–23 की जमाबंदी भी काबिज खातेदार टीनेन्ट अपीलकर्तागण के हक पूर्वाधिकारी रतनिया उर्फ रतनाराम के नाम से जारी हुई किन्तु **संवत् 2024–27 की जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी की प्रविष्टिया अंकित करते समय रतनिया वल्द सवा के स्थान पर रावतिया वल्द सवा का नाम वाद/अपील से सम्बंधित भूमि मे बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना किसी म्यूटेशन के ही अवैध दर्ज कर दिया।** तदोपरान्त गलत नाम के इन्द्राज धारक रावता उर्फ रावतिया का देहान्त हो गया इस कारण अपीलाधीन भूमि में फौतगी के आधार पर सबंधित राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंटगण के नाम की प्रविष्टियों अंकित कर दी गई, उसकी आड़ में रेस्पोडेंटगण ने विवादित भूमि के संबंध में गलत तथ्य बताकर भूमि विकास बैंक के पास रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया। एक खातेदार के नाम की प्रविष्टियों को हटाने या परिवर्तन करने के तीन ही आधार होते है प्रथम आधार खातेदार टीनेन्ट की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान के हक में म्यूटेशन पारित किया जाता है। द्वितीय आधार खातेदार टीनेन्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अपने हक अन्य व्यक्ति के हक पक्ष में अंतरित करने पर या तृतीय आधार किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में पारित किये गये म्यूटेशन के माध्यम से। उपरोक्त तीनों आधारों में से एक भी आधार वादीगण के हक पूर्वाधिकारी रतनीया उर्फ रतनाराम का नाम हटाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के हक पर्वाधिकारी रावतरिया उर्फ रावताराम का नाम दर्ज किया हो पर विध्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत सारवान तथ्यों का न्यायिक विवके युक्त परिशीलन सही परिपेक्ष्य में नहीं कर मनमाना आधारहीन एकांकी विधि के स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल बिना क्षेत्राधिकार का निर्णय व डिक्री पारित की है जो युक्ति संगत नहीं होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त जब तक रतनाराम उर्फ रतनिया के देहान्त होने के बाद हम वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक निर्विघन रूप से चला आ रहा है, वक्त सेटलमेंट विवादित आराजी पर एक मात्र कब्जा काश्त रतनिया का था, इसलिए उक्त भूमि का पर्चा लगान भी रतनिया के नाम से जारी हुआ एवं खतौनी बदोबस्त संवत् 2009 खतौनी 2014–17, खतोनी वर्ष 2020–23 की जमाबंदी भी काबिज खातेदार टीनेन्ट अपीलकर्तागण के हक पूर्वाधिकारी रतनिया उर्फ रतनाराम के नाम से जारी हुई किन्तु संवत् 2024–27 की जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी की प्रविष्टिया अंकित करते समय रतनिया वल्द सवा के स्थान पर रावतिया वल्द सवा का नाम वाद/अपील से सम्बंधित भूमि मे बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना किसी म्यूटेशन के ही अवैध दर्ज कर दिया तदोपरान्त गलत नाम के इन्द्राज धारक रावता उर्फ रावतिया का देहान्त हो गया इस कारण अपीलाधीन भूमि में फौतगी के आधार पर सबंधित राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंटगण के नाम की प्रविष्टियों अंकित कर दी गई, उसकी आड़ में रेस्पोडेंटगण ने विवादित भूमि के संबंध में गलत तथ्य बताकर भूमि विकास बैंक के पास रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया। एक खातेदार के नाम की प्रविष्टियों को हटाने या परिवर्तन करने के तीन ही आधार होते है प्रथम आधार खातेदार टीनेन्ट की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान के हक में म्यूटेशन पारित किया जाता है। द्वितीय आधार खातेदार टीनेन्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अपने हक अन्य व्यक्ति के हक पक्ष में अंतरित करने पर या तृतीय आधार किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में पारित किये गये म्यूटेशन के माध्यम से उपरोक्त तीनों आधारों मे से एक भी आधार वादीगण के हक पूर्वाधिकारी रतनीया उर्फ रतनाराम का नाम हटाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के हक पूर्वाधिकारी रावतरिया उर्फ रावताराम का नाम दर्ज किया हो पर विध्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत सारवान तथ्यों का न्यायिक विवके युक्त परिशीलन सही परिपेक्ष्य में नहीं कर मनमाना आधारहीन एकांकी विधि के स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल बिना क्षेत्राधिकार का निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय के पश्चात राजस्व प्रशासन गांवो के संग मे वर्ष 2001 मे आवेदन पत्र उक्त भूमि के राजस्व रिकर्ड में गलत दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धि हेतु पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया। जो दिनांक 10.01.2002 को स्वीकार किया गया। रेस्पोडेंटगण ने आदेश दिनांक 10.01.2002 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका पेश की गई जो दिनांक 01.08.2012 को निर्णित होकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्तुत आवेदन पर किये गए निर्णय को निरस्त कर दिया एवं अपीलकर्ता को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.08.2000 के विरूद्ध चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र रहने का आदेश पारित किया। अपीलाधीन भूमि के सबंध में कानूनी चाराजोही की आवश्यकता तत्समय मे नहीं रही, इसलिए गरीब तबके के देहाती अपीलकर्तागण अपील प्रस्तुत करने में कासिर रहे। अपील पेश करने में जो देरी अन्य विधिक कार्यवाही के विचाराधीन रहते व अन्य कारणों से हुई है वह पूर्णतया सदभावी तौर से हुई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां मामला गुणावगुण पर बहुत ही सशक्त एवं अच्छा हो, वहां विहित समय का विस्तारण कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण में मामला विधि के तहत प्रदत उपचारों के अधीन विचाराधीन रहा और इसमें अपीलांट पक्ष द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की। जो भी विलम्ब कारित हुआ वह सद्भाविक एवं जानकारी के अभाव के कारण है। इसलिए मामले का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर इसे खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त(संवत 2011 से 2030 तक) मुताबिक ग्राम बिठूजा के खसरा संख्या 250 रकबा 10.01 बीघा रतनीया वल्द सवा कौम भावी साकिन देह खातेदारी दर्ज हुई, जो निरंतर जमाबंदी संवत 2014 से 2016 एवं 2020 से 2023 तक यथावत रही जो क्रमशः खाता संख्या 89 व 96 से स्पष्ट होता है। इसके ठीक पश्चात की चतुवर्षीय तहरीर जमाबंदी संवत 2024 से 2027 के खाता संख्या 106 (पूर्व खाता संख्या 96) मुताबिक "रतनीया वल्द सवा" प्रविष्टि की जगह "रावतिया वल्द सवा" कौम भावी साकिन देह खातेदार दर्ज कर दिया गया जो उसकी मृत्योपरांत उसके 4 पुत्रों के नाम जरिये नामांतरण संख्या 109 से खातेदारी दर्ज हुई। ठीक इस चतुवर्षीय जमाबंदी संवत 2024 से 2027 के पूर्व की चुतवर्षीय जमाबंदी में किसी सक्षम आदेश या किसी नामांतरण बाबत कोई प्रविष्टि हेतु इसे निर्धारित कॉलम संख्या 12 से 17

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में नहीं है जो पूर्व की प्रविष्टि की जगह अन्य नाम की प्रविष्टि का कारण बनती हो। जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में खातेदार "रतनीया वल्द सवा" के स्थान पर "रावतिया वल्द सवा" किये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार या कारण मौजूद नहीं है, यह प्रविष्टि विधि की दृष्टि में एवं नियमानुसार गलत हुई है। वादग्रस्त खेत के खातेदार "रतनिया वल्द सवा" की अनन्यता साबित करने के लिए प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पर्चा खतौनी गांव बिठूजा पट्टा ठिकाणा कल्याणपुर (मूल से मिलान कर संलग्न पत्रावली किया) सन् 1948 संवत 2008 की प्रविष्टि इस प्रकार है– "रतनिया वल्द सवा कौम भाबी सा भींदा कुआ काश्तकार खसरा संख्या 250 रकबा 10.01 बीघा (वादग्रस्त भूमि)।" पर्चा खतौनी गांवा जानियाना (मूल से मिलान कर संलग्न पत्रावली किया) में प्रविष्टि इस प्रकार है– "रतनिया वल्द सविया कौम भांबी साकिन गोलिया खातेदार"। इस प्रविष्टि के संबंध में ग्राम जानियाना के नामांतरण संख्या 5 के मिताबिक "रतनिया" के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 122 रकबा 16 बीघा उसके वारिसान जाईंदा लड़के मेघा, हीरिया, केतिया पुत्र रतनिया"(रतना) अपीलांटगण के पिता/पति के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार विवादित भूमि के वास्तविक मूल खातेदार रतनिया(रतना) वल्द सवा की अनन्यता साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में अकारण हुई तब्दीली के संबंध में कानूनन गौर करने में भारी भूल की है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में बिना आधार के दीगर प्रविष्टि करने से वास्तविक हकदार अपने अधिकारों से न केवल महरूम रह जाता है बल्कि उसे अनावश्यक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड को भी समझने में भारी भूल की है। उसने अपीलांट पक्ष/वादीगण को नामांतरण संख्या 89 व 96 की प्रतियाँ प्रस्तुत न करने के आधार पर उनका दावा खारिज कर दिया जबकि नामांतरण संख्या 89 व 96 (संलग्न पत्रावली) का इस वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता/सरोकार नहीं है। 89 व 96 के उल्लेख के संदर्भ में वह चतुर्वर्षीय जमाबंदी का खाता संख्या के संबंध में है जो अवलोकनीय है। इन खातों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में कोई अन्य उल्लेख नहीं है, फिर भी दो स्पष्ट नामों रतनिया की जगह "रावतिया" करने का आधार रिकॉर्ड पर नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी प्रस्तुत निगरानी/टीए/166/2004/बाड़मेर पोलाराम बनाम मेघाराम के कायम मुकाम निर्णय दिनांक 01.08.2012 से अपीलांट को समुचित विधिक उपचार के लिए स्वतंत्र किया है, लिहाजा यह अपील पेश हुई है। मौके पर विवादित भूमि तथा रेस्पोडेंट की अपनी खातेदारी भूमि लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अपीलांटगण मौके पर अपनी भूमि पर अनवरत और बिना किसी दखल के काबिल काश्त और रिकॉर्ड पर है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आलोक में

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.08.2000 विधि सम्मत नहीं होने एवं राजस्व अभिलेख संधारण के सुस्थापित नियमों/सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बिना किसी सक्षम आदेश या नामांतकरण के अभाव में विवादित आराजी ग्राम बिठूजा खसरा संख्या 250 रकबा 10.01 बीघा की जमाबंदी संवत 2024–27 में की गई प्रविष्टि "रावतिया वल्द सवा" को विलोपित किया जाना तथा इसके अनुक्रम में भरे गए नामांतकरण निरस्त एवं प्रभावहीन किये जाने समुचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं ग्राम बिठूजा के खेत खसरा संख्या 250 रकबा 10.01 बीघा में अपीलांटगण को खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जाकर पालना से अवगत कराने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है। खातेदारान का रहन हिस्सा तदनुसार रहेगा।

30/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बीरहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner